

प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हीराचंद भण्डारी पता: C/O हीरा डिस्ट्रीब्यूटरस तिलक द्वार के अन्दर जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		33 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/ 00131

31.12.2018

अपीलांट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट उपस्थित। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को सुना गया।

रेस्पोडेन्ट (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर) ने व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र 06.11.2018 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना कार्यालय में संधारित उपलब्ध सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवाई गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित वांछित सूचना प्रश्नवाचक होने एवं सूचना के संबंध में पत्रांक/ दिनांक आदि का स्पष्ट अंकन भी नहीं किया गया है। फलस्वरूप सूचना संकलित/ढूँढना अत्यन्त श्रमसाध्य है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(महेन्द्र सोनी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलेक्टर)  
जालोर

